राजस्थान सरकार

कार्मिक (ख–3, सुरक्षा) विभाग

क्रमांक:प04(1)/कार्मिक/ख–3/सुरक्षा/2005 जयपुर, दिनांक 18–11–2005

परिपत्र

शासन सचिवालय एक महत्त्वपूर्ण स्थान होकर राज्य सरकार का प्रशासनिक केन्द्र है, जहाँ अत्यधिक संख्या मे प्रतिदिन आगन्तुक आते हैं। सचिवालय मे पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण और आगन्तुकों के वाहनों की सही प्रकार से पार्किंग सचिवालय प्रशासन के लिये एक प्रमुख समस्या है और यह आवश्यक है कि शासन सचिवालय परिसर मे वाहनों के प्रवेश को यथा सम्भव न्यूनतम स्तर पर रखा जावे। इस सम्बन्ध मे पूर्व मे विभागीय परिपत्र संख्या F12(33)DOP/B-3/Security/91 दिनांक 29–02–1996 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। पूर्व परिपत्र दिनांक 29–02–1996 के बाद वाहनों की बढी हुई संख्या और विभिन्न निर्माण कार्यों के कारण सचिवालय परिसर मे कम होती जा रही पार्किंग सुविधा के मध्यनजर पूर्व परिपत्र दिनांक 29–02–1996 के अतिक्रमण मे निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. शासन सचिवालय मे कार्यरत अधिकारीगण/कर्मचारीगण के निजी चार पहिया वाहनों के लिये **केवल अधिकारी/कर्मचारी के स्वयं के नाम से पंजीकृत** वाहन का ही वार्षिक प्रवेशपत्र केवल स्वयं के उपयोगार्थ जारी किया जावेगा जिसके लिये आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और वाहन चलाने के लाइसेंस की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। एक बार मे एक से अधिक संख्या मे वाहनों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा।
2. यदि उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 के तहत वर्णित अधिकारी/कर्मचारी वाहन स्वयं नहीं चलाकर निजी वाहन–चालक की सेवायें लेता है तो उक्त वाहन चालक के लाइसेंस की सत्यापित प्रतिलिपि तथा अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वाहन चालक के चरित्र व सदव्यवहार बाबत वचनबद्धता–पत्र (under taking) प्रस्तुत करना होगा। ऐसे वाहन चालक के लिये अस्थाई त्रैमासिक व्यक्तिगत प्रवेश पत्र भी प्राप्त करना होगा।
3. सचिवालय परिसर के बाहर जयपुर स्थित जिन विभागों के अधिकारीगण को राज्य कार्य से बार बार सचिवालय मे आना होता है, उक्त विभागों के लिये **अधिकतम 2 चार पहिया वाहनों के लिये सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक सचिवगण की अभिशंषा के आधार पर** वार्षिक प्रवेश पत्र जारी किये जा सकेंगे, किन्तु ऐसे वाहनों के वाहन चालकों के लिये भी अस्थाई त्रैमासिक व्यक्तिगत प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा।
4. जयपुर से अन्यत्र पदस्थापित अधिकारियों के वाहनों के लिये प्रवेश पत्र सचिवालय से जारी किये गये अधिकारी के पहचान पत्र/प्रवेश पत्र के आधार पर कार्य की आवश्यकता को देखते हुये केवल एक अथवा उतने ही दिनों के लिये जारी किया जावेगा, जितने लगातार कार्य दिवसों के लिये अधिकारी को राज्य कार्य से सचिवालय मे आना अपेक्षित है।
5. माननीय मंत्रीगण और शासन सचिवालय मे कार्यरत अधिकारीगण को उनके उपयोग हेतु राज्य मोटर गैराज/कार्मिक विभाग/सम्बन्धित विभाग से आवंटित वाहन के लिये भी सचिवालय का प्रवेश पत्र तथा वाहन चालक का व्यक्तिगत प्रवेश पत्र जारी कराना अनिवार्य होगा।
6. सचिवालय परिसर मे चल रहे निर्माण कार्यों व अन्य गतिविधियों के संचालन के लिये अगर किसी विभागीय/ ठेकेदार के वाहन का सचिवालय मे प्रवेश जरूरी है तो ऐसे वाहन के लिये भी सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से आवेदन करके वाहन का अस्थाई प्रवेश पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

7. उपरोक्त वर्णित श्रेणी के वाहनों के अलावा किसी भी प्रकार के चार पहिया वाहन को सचिवालय परिसर मे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। **निजी आगन्तुकों को अपने वाहन सचिवालय परिसर मे लाने की अनुमति नहीं होगी।** उन्हें सचिवालय परिसर के बाहर स्थानीय प्रशासन/ पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क करके केवल पैदल उनके विधिमान्य व्यक्तिगत प्रवेश पत्र के आधार पर सचिवालय परिसर मे प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी।

8. केवल अतिविशिष्ठ श्रेणी के निजी आगन्तुकों (VIP visitors) के वाहनों के लिये सम्बन्धित प्रशासनिक शासन सचिव/ माननीय मंत्री के कार्यालय से उपशासन सचिव/ विशिष्ठ सहायक से अन्यून (Not below the Deputy Secretary/ Special Assistant) स्तर के अधिकारी की अभिशंषा के आधार पर केवल एक दिन के लिये अस्थाई प्रवेश पत्र दिया जा सकेगा।

9. माननीय सांसद/विधायकगण को भी राज्य कार्य से शासन सचिवालय मे आना होता है। इस हेतु माननीय सांसद/विधायकगण उनके निजी नाम से पंजीकृत वाहन के लिये पूर्वोक्त बिन्दु संख्या 1–2 मे दी गई प्रक्रिया के अनुसार वार्षिक वाहन प्रवेश पत्र जारी करा सकेंगे। एक बार मे एक से अधिक संख्या मे वाहनों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा।

10. प्रवेशपत्र धारक चार पहिया वाहन से भी केवल विधिमान्य व्यक्तिगत प्रवेशपत्र धारक व्यक्ति ही सचिवालय मे प्रवेश का पात्र होगा।

11. विधिमान्य व्यक्तिगत प्रवेशपत्र धारक अधिकारी/कर्मचारी/आगन्तुक यदि दो पहिया वाहन का उपयोग करता है तो इसके लिये अलग से वाहन प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. सचिवालय परिसर मे वाहन को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क किया जाना सम्बन्धित अधिकारी/ वाहन चालक की जिम्मेदारी होगी। वर्जित स्थान पर वाहन को पार्क करने पर प्रवेश पत्र निरस्त किया जा सकता है और नियमानुसार कार्यवाही हेतु वाहन पुलिस को सुपुर्द किया जा सकता है।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू माने जावेंगे।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव
कार्मिक विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/ शासन सचिवगण, राजस्थान सरकार।
2. समस्त विभागाध्यक्षगण, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलेक्टरगण, राजस्थान।
4. समस्त विशिष्ठ सहायकगण/निजी सचिवगण, माननीय मंत्रीगण।
5. निजी सहायक, उप शासन सचिव कार्मिक (ख-3) विभाग।

उपशासन सचिव
कार्मिक (ख) विभाग